रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 1969/चैत्र 20, 1891

No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1969/CHAITRA 20, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April 1969

S.O. 1419.—Whereas a request has been received under section 3 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), from the Government of Andhra Pradesh to refer the water dispute regarding the inter-State river, Krishna, and river valley thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas requests have also been received under that section from the Governments of Mysore and Maharashtra to refer the water dispute regarding the inter-State rivers, Krishna and Godavari, and river valleys thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas the Central Government is of opinion that the water dispute regarding the inter-State river, Krishna, and river valley thereof, cannot be settled by negotiations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Water Disputes Tribunal called 'the Krishna Water Disputes Tribunal', with headquarters at New Delhi, consisting of the following members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, for the adjudication of the water dispute regarding the inter-State river, Krishna, and the river valley thereof, in accordance with the provisions of the said Act, namely :—

Chairman

(i) Shri Justice R. S. Bachawat, Judge of the Supreme Court of India.

Members

(ii) Shri Justice N. L. Untwalia, Judge of the Patna High Court.

(iii) Shri Justice D. S. Mathur, Judge of the Allahabad High Court.

[No. DW.II.32(19)/68.]

By order and in the name of the President of India.

K. P. MATHRANI, Secy.

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1969

सं० आ० 1420:—यतः आन्ध्र प्रदेश की सरकार से अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि अन्तर्राज्यिक नदी, कृष्णा, तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए ;

और यतः मैसूर और महाराष्ट्र की सरकारों से भी उस धारा के अधीन यह प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं कि अन्तर्राज्यिक नदियों, कृष्णा और गोदावरी, तथा उनकी नदी घाटियों, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अन्तर्राज्यिक नदी कृष्णा, तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को बात चीत द्वारा तय नहीं किया जा सकता ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अन्तर्राज्यिक नदी कृष्णा, तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, "कृष्णा जल विवाद अधिकरण", नामक एक जल विवाद अधिकरण एतद्द्वारा गठित करती है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष—

(1) श्री रणधीर सिंह बाछावत
न्यायाधीश,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।

सदस्य—

(2) श्री नन्दलाल ऊंटवालिया
उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश

(3) श्री धात्री शरण माथुर
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश ।

[सं० डी डब्ल्यू II-32(19)/68]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में
के० पी० मथ्रानी, सचिव ।

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April 1969

S.O. 1421.—Whereas requests have been received under section 3 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956), from the Governments of Maharashtra and Mysore to refer the water dispute regarding the Inter-State rivers, Godavari and Krishna, and river valleys thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas requests have also been received under that section from the Governments of Orissa and Madhya Pradesh to refer the water dispute regarding the inter-State river, Godavari, and river valley thereof, to a Tribunal for adjudication;

And whereas the Central Government is of opinion that the water dispute regarding the inter-State river, Godavari, and river valley thereof, cannot be settled by negotiations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Water Disputes Tribunal called 'the Godavari Water Disputes Tribunal', with headquarters at New Delhi, consisting of the following members nominated in this behalf by the Chief Justice of India, for the adjudication of the water dispute regarding the inter-State river, Godavari, and the river valley thereof, in accordance with the provisions of the said Act, namely:—

Chairman

(i) Shri Justice R. S. Bachawat, Judge of the Supreme Court of India.

Members

(ii) Shri Justice N. L. Untwalia, Judge of the Patna High Court.

(iii) Shri Justice D. S. Mathur, Judge of the Allahabad High Court.

[No. DW.II.32(19)/68.]
By order and in the name of
the President of India.
K. P. MATHRANI, Secy.

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1969

सं० आ० 1422 :—यत: महाराष्ट्र और मैसूर की सरकारों से अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 3 के अधीन यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि अन्तर्राज्यिक नदियों गोदावरी और कृष्णा, तथा उन की नदी घाटियों, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए ;

और यत: उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों से भी उस धारा के अधीन यह प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं कि अन्तर्राज्यिक नदी, गोदावरी, तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन, के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जाए ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अन्तर्राज्यिक नदी, गोदावरी तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को बातचीत द्वारा तय नहीं किया जा सकता ।

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्राज्यिक नदी, गोदावरी, तथा उसकी नदी घाटी, सम्बन्धी जल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, 'गोदावरी, जल विवाद अधिकरण', नामक एक जल विवाद अधिकरण एतद्द्वारा गठित करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

अध्यक्ष

श्री रणधीर सिंह बछावत,
न्यायाधीश,
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।

सदस्य

(2) श्री नन्द लाल ऊंटवालिया,
उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश

(3) श्री धात्री शरण माथुर
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के न्यायाधीश

[सं० डी डब्लू II-32 (19)/68]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में

के० पी० मथरानी, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969